यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि

1876. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इन आवंटनों का राज्यवार तथा संघ-राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कतिपय राज्यों तथा संघ-राज्यक्षेत्रों ने 1992-93 के दौरान आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य के मामले में क्या प्रतिक्रियाएं हैं ;

(ङ) क्या सरकार उन राज्यों तथा संघ-राज्यक्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि करने का विचार रखती है, जिन्होंने उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आवंटन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिये किये जाते हैं । 1992-93 तथा 1993-94 के लिये परिव्ययों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी) के तहत वर्ष 1992-93 के लिये व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण (नीचे देखिये) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) सारणी उन राज्यों को दर्शाती है, जहां संशोधित आबंटनों के आंकड़ों के मुकाबले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है । इन निधियों का उपयोग करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

(ङ) से (छ) एम एन पी के तहत अधिकांश आवंटन राज्य योजना के समग्र आकार से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में किये जाते हैं, राज्य सरकारें एम एन पी के तहत और अधिक निधियों का आवंटन कर सकती है और योजना आयोग द्वारा इन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है । वस्तुतः किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का पर्याप्त महत्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से योजना आयोग निधियों का निर्धारण करता है । एम एन पी के तहत निधियों का पूरा उपयोग न होने की स्थिति में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की केन्द्रीय योजना सहायता में आनुपातिक कटौती की जाती है ।

विवरण

राज्य योजना क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत परिव्यय एवं व्यय

(लाख रु० में)

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93			1993-94	
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	
1	आंध्र प्रदेश	10445.00	10913.00	12641.99(+)	19724.88	21441.15
2	अरूणाचल प्रदेश	5046.00	5281.00	4674.40(-)	6209.00	5792.00
3	असम	15167.00	16586.00	14752.00(-)	17712.00	17142.00
4	बिहार	42522.00	22509.00	27086.15(+)	44395.00	10429.70
5	गोआ	1416.00	1506.92	1541.44(+)	1635.30	1006.80
6	गुजरात	18976.00	16718.72	12025.39(-)	24094.00	17525.00
7	हरियाणा	9261.00	7137.00	7605.02(+)	8214.00	7161.19
8	हिमाचल प्रदेश	10121.00	11804.00	11518.74(-)	7234.00	7196.00
9	जम्मू व कश्मीर	9760.00	7956.00	8399.79(+)	9603.00	8687.00

10	कर्नाटक	19558.00	20718.00	16256.58(−)	44373.00	40768.00
11	केरल	5403.00	5194.00	5738.74(+)	6251.00	6310.00
12	मध्य प्रदेश	28651.00	21059.00	20741.84(−)	26790.00	22795.82
13	महाराष्ट्र	24081.60	25184.00	24530.32(−)	22662.00	21504.00
14	मणिपुर	3544.00	3042.00	2718.44(−)	4010.00	2946.30
15	मेघालय	4499.00	4499.00	4527.34(+)	5556.00	5556.84
16	मिजोरम	3573.00	3572.00	3727.00(+)	2687.00	3232.30
17	नागालेंड	2221.00	1125.00	1511.61(+)	1550.00	1143.00
18	उड़ीसा	11821.00	10429.00	11572.87(−)	11190.00	12342.42
19	पंजाब	7266.00	3480.00	3996.83(−)	5814.00	5001.00
20	राजस्थान	18143.00	17430.00	17245.83(−)	22855.00	20313.00
21	सिक्किम	2350.00	1922.64	1903.10(−)	2175.00	1909.05
22	तमिलनाडु	18609.00	18750.00	22194.73(+)	22212.00	22340.00
23	त्रिपुरा	4527.00	4053.00	4166.91(+)	5312.00	4974.80
24	उत्तर प्रदेश	44325.00	33715.00	37073.71(+)	50710.00	39848.00

1		2	3	4	5	6
25	पश्चिम बंगाल	16085.00	10429.00	12077.68(+)	11187.00	6156.00
26	अड० व निकोबार द्वीपसमूह	1177.34	1177.34	1235.38(+)	1247.31	1247.31
27	चंडीगढ़	213.00	213.00	244.27(+)	268.50	268.50
28	दादर व नगर हवेली	195.79	195.79	206.11(+)	292.80	292.80
29	दमन व दीव	207.27	207.27	235.98(+)	218.50	218.05
30	दिल्ली	7465.10	6862.00	6760.87(-)	8193.00	7541.17
31	लक्षद्वीप	175.42	175.42	160.41(-)	168.65	168.65
32	पांडिचेरी	766.00	890.00	872.27(-)	1079.00	1083.00
	अखिल भारत	348160.52	294734.10	299924.56	385022.47	324440.85

(+) संशोधित परिव्यय की तुलना में अधिक उपयोग ।

(-) संशोधित परिव्यय की तुलना में कम उपयोग ।